डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 334/2025

1. कृष्ण सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राम सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) – वादीगण

बनाम्

1. सुखदेव सिंह पुत्र श्री जोरा सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 बी.जी.पी. के खाता सं. 57/31 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 2.783 है. में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि. ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने तथा इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 39/32 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में 1.4725 है. कृषि भूमि में से 1.346 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोटः– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत्...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...X...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.7.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया